भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
रुड़की

संविधियां

विजि़टर की स्वीकृति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ. सं. 7-12/2002-टी.एस. 1 दिनांक 1 नवम्बर 2004 द्वारा सूचित।

अनुक्रमणिका

1.	संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ	1
2.	परिभाषाएं	1
3.	अभिशासक बोर्ड	3
4.	बोर्ड के आदेशों एवं निर्णयों का अधिप्रमाणन	6
5.	सिनेट	6
6.	वित्त समिति	9
7.	भवन एवं निर्माण कार्य समिति	11
8.	अध्यक्ष	13
9.	निदेशक	14
10.	उप निदेशक	17
11.	डीन	17
12.	संस्थान के कर्मचारियों का वर्गीकरण	18
13.	नियुक्तियां	19
14.	स्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन	25
15.	अस्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन	28
16.	अनुबंध पर नियुक्ति	28
17.	सेवा निवृत्ति लाभ	28
18.	दीर्घावकाश् व छुट्टी	29

19.	स्टॉफ हेतु आवास गृह	29
20.	यात्रा भत्ता	29
21.	विभाग/केन्द्र/सेवा केन्द्र	30
22.	विभागाध्यक्ष	31
23.	अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों एवं पुरस्कारों की स्थापना	32
24.	शुल्क एवं शुल्क में छूट दिया जाना	32
25.	हॉल/छात्रावास एवं भवन	32
26.	मानद उपाधि प्रदान किया जाना	33
27.	नियमों का बनाया जाना	33

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

संविधियां

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1. (1) इन संविधियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की प्रथम संविधियां कहा जा सकता है।

(2) ये उस तिथि से लागू होंगी जिसे केन्द्र सरकार इन्हें लागू करने के लिये निश्चित करेगी।

परिभाषाएं

2. इन संविधियों में, जब तक कि सन्दर्भ, अन्यथा अपेक्षा न रखता हो -

(अ) 'अधिनियम' से तात्पर्य होगा, समय समय पर यथा संशोधित प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961;

(आ) 'प्राधिकारियों', 'अधिकारियों' एवं 'प्रोफेसरों' से तात्पर्य क्रमशः संस्थान के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं प्रोफेसरों से होगा;

(इ) 'भवन' या 'छात्रावास' का तात्पर्य संस्थान के छात्रों के रहने हेतु भवन या छात्रावास से होगा;

(ई) 'बोर्ड' से तात्पर्य संस्थान की अभिशासक बोर्ड से होगा;

(उ) 'भवन एवं निर्माण कार्य समिति' से तात्पर्य संस्थान की भवन एवं निर्माण कार्य समिति से होगा;

(ऊ) 'केन्द्र/स्कूल' से तात्पर्य स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.एच.डी. उपाधि हेतु शैक्षणिक तथा/या अनुसंधान गतिविधियों को चलाने तथा/या सुकर बनाने हेतु स्थापित किसी शैक्षिक केन्द्र/स्कूल से है;

(ए) 'केन्द्र सरकार' से तात्पर्य भारत सरकार से है;

(ऐ) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(ओ) छात्रावास/भवन के संबध में 'मुख्य संरक्षक' से तात्पर्य उसके मुख्य संरक्षक से है;

(औ) 'परिषद' से तात्पर्य संस्थान की परिषद से है;

(क) 'डीन' से तात्पर्य निदेशक द्वारा नियुक्त डीन से है;

(ख) 'विभाग' से तात्पर्य स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर व पी.एच.डी. उपाधि हेतु शिक्षा प्रदान किये जाने तथा अनुसंधान गतिविधियों को चलाये जाने के लिये स्थापित किसी शैक्षणिक विभाग से है;

(ग) 'उप निदेशक' से तात्पर्य संस्थान के उप निदेशक से है;

(घ) 'निदेशक' से तात्पर्य संस्थान के निदेशक से है;

(ङ.) 'वित्त समिति' से तात्पर्य संस्थान की वित्त समिति से है;

(च) किसी विभाग/केन्द्र/स्कूल के संबध में 'विभागाध्यक्ष' से तात्पर्य उसके विभागाध्यक्ष से है;

(छ) 'संस्थान' से तात्पर्य, अधिनियम के अन्तर्गत समाविष्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के रूप में विख्यात संस्थान से है;

(ज) 'अध्यादेश' से तात्पर्य संस्थान के अध्यादेश से है;

(झ) 'कुलसचिव' से तात्पर्य संस्थान के कुलसचिव से है;

(ञ) 'सिनेट' से तात्पर्य संस्थान की सिनेट से है;

(ट) 'सेवा केन्द्र' से तात्पर्य, शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा विस्तृत करने हेतु ढांचागत

और/या वैज्ञानिक व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिये इस रूप में स्थापित किसी शैक्षणिक सेवा केन्द्र से है;

(ठ) छात्रावास/भवन के संबंध में 'संरक्षक' से तात्पर्य उसके संरक्षक से है।

अभिशासक बोर्ड

3. (1) केन्द्र सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण नीति ढांचे के अनुरूप, बोर्ड निम्नलिखित के संबंध में कसौटियां निर्धारित करेगा, यथा :-

(क) औद्योगिक परामर्श;

(ख) भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग;

(ग) प्राप्त दानों की स्वीकृति;

(घ) अन्य तकनीकी संस्थानों को शैक्षणिक सहायता।

(2) बोर्ड, संपदा एवं निर्माण के अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा छोटे व बड़े कार्यों के मामले में उपगत किये जाने वाले व्यय की सीमा व उनकी अनुमति के संबंध में नीति का निर्धारण करेगा।

(3) बोर्ड के गठन तथा बैठकों हेतु प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, यथा :-

(क) बोर्ड में प्रतिनिधि चुनने या नामित करने हेतु अर्ह निकायों को, कुलसचिव द्वारा, एक पर्याप्त समय के अन्दर जो सामान्य रूप में आमंत्रण पत्र जारी करने की तिथि से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा, इसके लिये आमंत्रित किया जायेगा। बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिये भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(ख) बोर्ड की बैठक जितनी बार भी आवश्यक हो, हो सकती है परंतु यह एक कलैण्डर वर्ष में दो बार से कम नहीं होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक, अध्यक्ष द्वारा या तो स्वयं अपने आप या निदेशक द्वारा निवेदन करने पर या बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचन पर बुलाई जायेगी।

(घ) संस्थान के बाहर से एक सदस्य सहित बोर्ड के चार सदस्य बैठक हेतु कोरम पूर्ण करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि, यदि कोरम के अभाव में कोई बैठक रद्द हो जाती है तो यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिन, स्थान एवं समय पर पुनः आयोजित की जायेगी, और यदि ऐसी बैठक में बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्धारित समय के आधे घंटे के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो उपस्थित सदस्य ही कोरम होंगे।

(ड.) बैठक में विचार किये जाने वाले सभी प्रश्नों पर निर्णय अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा होगा। यदि मतों की संख्या बराबर हो तो अध्यक्ष अनुमोदक या निर्णायक मत देगा।

(च) अध्यक्ष, यदि उपस्थित है, तो वह बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्षता करने हेतु चुन लेंगे।

(छ) प्रत्येक बैठक की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व कुलसचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को इसकी लिखित सूचना भेजी जायेगी। सूचना में बैठक का स्थान, समय एवं तिथि उल्लिखित होगी।

शर्त है कि अध्यक्ष विशेष आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिये अल्पावधि सूचना पर बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है।

(ज) सूचना या तो दस्ती दी जा सकती है या पंजीकृत डाक से प्रत्येक सदस्य के बोर्ड के कार्यालय में दर्ज पते पर भेजी

जा सकती है और इस प्रकार भेजे जाने पर उसे डाक के सामान्य अनुक्रम में वितरित समय पर नियमानुसार प्रदत्त समझा जायेगा।

(झ) कार्यसूची, कुलसचिव द्वारा सदस्यों को बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व प्रचारित की जायेगी।

(ञ) किसी मद को कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव की सूचना कुलसचिव के पास बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जानी चाहिये। हालाँकि अध्यक्ष, ऐसे किसी भी मद को सम्मिलित किये जाने की अनुमति दे सकता है जिसके लिये यथोचित सूचना प्राप्त न हुयी हो।

(ट) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।

(ठ) बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त अध्यक्ष की अनुमति के साथ कुलसचिव द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा भारत में उपस्थित बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रचारित किये जायेंगे। ये कार्यवृत्त, सुझाये गये संशोधनों के साथ, यदि कोई हों तो, बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रक्खे जायेंगे। कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने तथा इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर कर दिये जाने के पश्चात, इन्हें एक कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलेखित किया जायेगा जो सभी कार्यालय समय में बोर्ड व परिषद के सदस्यों के निरीक्षण हेतु खुली रक्खी जायेगी।

(ड) यदि कोई सदस्य बोर्ड से अनुपस्थिति हेतु अवकाश बिना लिये लगातार तीन क्रमागत बैठकों में भाग लेने में असमर्थ रहता है तो उसकी बोर्ड की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(ढ) बोर्ड अपने ऐसे अधिकारों को निदेशक को सौंप सकता है जिन्हें वो इसके लिये उपयुक्त समझे। हालाँकि निदेशक अपने द्वारा की गई कार्यवाही को बोर्ड की अगली बैठक में बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

बोर्ड के आदेशों एवं निर्णयों का अधिप्रमाणन

4. बोर्ड के सभी आदेश एवं निर्णय कुलसचिव या बोर्ड द्वारा इसके लिये अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

सिनेट

5. (1) अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सिनेट के सदस्य होंगे, यथा :-

(क) प्रोफेसरों को छोड़ कर विभागों/शैक्षिक केन्द्रों/स्कूलों के अध्यक्ष, जो सिनेट के सदस्य नहीं हैं;

(ख) प्रोफेसरों को छोड़ कर डीन व सह-डीन, जो सिनेट के सदस्य नहीं हैं;

(ग) संस्थान का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(घ) एक वर्ष की एक अवधि के लिये आवर्तन से निदेशक द्वारा नामित एक मुख्य संरक्षक;

(ड.) अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, निदेशक के साथ परामर्श के उपरांत अध्यक्ष द्वारा उनके विशिष्ट ज्ञान हेतु नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य जो छः से अधिक न हों।

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सिनेट का अधिकार होगा कि:-

(क) विभिन्न् विभागों/शैक्षिक केन्द्रों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यचर्या तथा पाठ्यविवरण को बनाना तथा उसमें संशोधन;

(ख) परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यवस्थाएं करना, परीक्षकों, परिमार्जकों, सारणीकारों और इनके समान व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ग) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों को नियुक्त करना तथा डिग्री,

डिप्लोमा व अन्य शैक्षिक सम्मान या पदवियां प्रदान या स्वीकृत किये जाने के संबध में बोर्ड को संस्तुति करना;

(घ) विभागों/शैक्षिक केन्द्रों के कार्यकरण से जुड़े हुये शैक्षिक मामलों पर संस्थान के शैक्षिक केन्द्रों तथा विभागों हेतु संस्तुतियां करने के लिये सलाहकार समितियों या विशेषज्ञ समितियों या दोनों को नियुक्त करना। संबंधित विभागाध्यक्ष ऐसी समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(ड.) ऐसे विशिष्ट शैक्षिक मामलों पर जिन्हें सिनेट द्वारा सलाह देने हेतु किसी समिति को भेजा जाये, सिनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों तथा बाहर से विशेषज्ञों में से समितियों को नियुक्त करना;

(च) विभिन्न विभागों एवं शैक्षिक केन्द्रों से जुड़ी हुयी सलाहकार समितियों तथा विशेषज्ञों की व अन्य समितियों की संस्तुतियों पर विचार करना और (बोर्ड को संस्तुतियां करने सहित) जैसी भी प्रत्येक की परिस्थितियां हों, उसके अनुसार निर्णय लेना;

(छ) विभागों की गतिविधियों का आवर्ती पुनरीक्षण तथा (बोर्ड को संस्तुतियां करने सहित) उचित कार्यवाही करना;

(ज) पुस्तकालय के कार्यकरण का परिवेक्षण करना;

(झ) संस्थान में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा ऐसे अनुसंधानों की उनमें नियुक्त व्यक्तियों से रिपोर्ट मांगना;

(ञ) कक्षाओं एवं भवन/छात्रावासों का उनमें अनुदेशों एवं अनुशासन के सन्दर्भ में निरीक्षण कराना, संस्थान के छात्रों की पाठ्येत्तर गतिविधियों का परिवेक्षण करना तथा उनके संबंध में बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ट) पुरस्कार से संलग्न ऐसी अन्य शर्तों व अध्यादेशों का अनुपालन करते हुये वृत्तिका, छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति, पदक व पारितोषिक तथा अन्य पुरस्कार बनाना;

(ठ) (1) शैक्षिक स्टॉफ के पदों को सर्जित करने तथा उन्हें समाप्त करने व (2) इन पदों से जुड़े हुये कर्तव्यों, के संबंध में बोर्ड को संस्तुतियां करना;

(ड) (1) विभागों/केन्द्रों/स्कूलों/सेवा केन्द्रों की संस्थापना तथा उन्हें समाप्त किये जाने व (2) ऐसे विभागों/केन्द्रों/स्कूलों/सेवा केन्द्रों को शैक्षणिक व अन्य स्टॉफ के आवंटन के संबंध में बोर्ड को संस्तुतियां करना;

(ढ) उनका शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी संस्थानों को अन्य सहायता उपलब्ध कराना;

(ण) संस्थान की अनुसंधान व शैक्षणिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम द्वारा पहुँच।

(3) सिनेट की बैठक आवश्यक होने पर कभी भी हो सकती है परंतु एक कलैण्डर वर्ष में चार बार से कम नहीं होगी।

(4) सिनेट की बैठक या तो सिनेट के अध्यक्ष द्वारा स्वयं बुलाई जायेगी या सिनेट के कम से कम 20 प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित माँग पर बुलाई जायेगी।

माँग पर बुलाई गई बैठक केवल उन मुद्दों पर विचार करने के लिये एक विशेष बैठक होगी जिनके लिये माँग की गई हो। ऐसी बैठक माँग करने हेतु दी गई सूचना के 15 दिन के अन्दर सिनेट के अध्यक्ष द्वारा उसे सुविधाजनक तिथि एवं समय पर बुलाई जायेगी।

(5) सिनेट की किसी बैठक हेतु इसके कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य कोरम पूरा करेंगे।

(6) उपस्थित रहने पर, निदेशक, सिनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, उप निदेशक, तथा निदेशक व उप निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम डीन बैठक की अध्यक्षता करेगा। ऐसी स्थिति में जब कोई डीन भी उपस्थित न हो तो उपस्थित वरिष्ठतम प्रोफेसर बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(7) प्रत्येक बैठक की एक लिखित सूचना, कार्यसूची के साथ, बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व कुलसचिव द्वारा सिनेट के सदस्यों को प्रचारित की जायेगी। सिनेट के अध्यक्ष ऐसे किसी भी मुद्दे को सम्मिलित करने की अनुमति दे सकते हैं जिसके लिये यथोचित सूचना नहीं दी जा सकी हो।

(8) उप-संविधि (7) के प्रावधानों के होते हुये भी, निदेशक आवश्यक विशेष मामलों पर विचार करने हेतु अल्पावधि सूचना पर सिनेट की आकस्मिक बैठक बुला सकता है।

(9) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों पर सिनेट के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।

(10) सिनेट की कार्यवाही का कार्यवृत्त सिनेट के अध्यक्ष की अनुमति के साथ कुलसचिव द्वारा तैयार किया जायेगा तथा भारत में उपस्थित सिनेट के सभी सदस्यों को प्रचारित किया जायेगा। शर्त है कि कोई ऐसा कार्यवृत्त प्रचारित नहीं किया जायेगा जिसे सिनेट समझती है कि उसका परिचल संस्थान के हितों के विपरीत होगा। कार्यवृत्त, संशोधनों के साथ, यदि कोई हों तो, सिनेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने तथा इस पर सिनेट के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, इनको कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलेखित किया जायेगा जो सभी कार्यालय समय में सिनेट, बोर्ड तथा परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिये खुली रक्खी जायेगी।

(11) आकस्मिक मामलों में सिनेट का अध्यक्ष सिनेट के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा अपने द्वारा लिये गये निर्णय को सिनेट की आगामी बैठक में उस पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सिनेट को रिपोर्ट कर सकता है।

वित्त समिति

6. (1) वित्त समिति, अधिनियम की धारा 10 के अर्थ के अन्तर्गत, संस्थान का एक प्राधिकरण होगा। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा:-

(क) अध्यक्ष, पदेन, जो वित्त समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति;

(ग) बोर्ड द्वारा नामित तीन व्यक्ति, तथा

(घ) निदेशक।

(2) (क) उपरोक्त उप-संविधि (1) के उप खंड (ख) व (ग) के नामित सदस्यों का कार्यकाल, जिस वर्ष में उन्हें नामित किया गया हो उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन से तीन वर्ष का होगा।

(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु नामित सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि तक के लिये होगा जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

(3) वित्त समिति निम्नलिखित कार्य करेगी, यथा:-

(क) निदेशक द्वारा तैयार किये गये संस्थान के वार्षिक बजट की जाँच एवं संवीक्षण तथा बोर्ड को संस्तुति करना;

(ख) संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय प्रश्न पर, या तो बोर्ड की, या निदेशक की या स्वयं अपनी पहल पर अपने विचार रखना तथा बोर्ड को अपनी संस्तुतियां देना;

(ग) संस्थान से संबंधित सभी ऐसे मामलों पर, जो वित्तीय दायित्व रखते हों, विचार करना तथा बोर्ड को अपनी संस्तुति देना।

(4) वित्त समिति की बैठक आवश्यक होने पर कभी भी हो सकती है, परंतु एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(5) वित्त समिति की किसी बैठक हेतु वित्त समिति के तीन सदस्य कोरम पूर्ण करेंगे।

(6) उपस्थित रहने पर, अध्यक्ष, वित्त समिति की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये चुन लेंगे।

(7) बैठक की सूचनाओं, कार्यसूची में मदों के सम्मिलित किये जाने तथा कार्यवृत्त की पुष्टि के सबंध में बोर्ड की बैठकों पर लागू उपरोक्त संविधियों के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, वित्त समिति की बैठकों के संबंध में भी लागू होंगे।

(8) वित्त समिति की बैठक के प्रत्येक कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जायेगी।

(9) आकस्मिक मामलों में, अध्यक्ष, वित्त समिति के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा अपने द्वारा की गई कार्यवाही को, इसकी अनुमति हेतु वित्त समिति की आगामी बैठक में रिपोर्ट कर सकता है।

भवन एवं निर्माण कार्य समिति

7. (1) भवन एवं निर्माण कार्य समिति, अधिनियम की धारा 10 के अर्थ के अन्तर्गत, संस्थान का एक प्राधिकरण होगी। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा:-

(क) निदेशक, पदेन, जो भवन एवं निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) उप निदेशक, पदेन;

(ग) प्रोफेसर प्रभारी, संपदा एवं निर्माण, पदेन;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(ड.) किसी सरकारी विभाग/अभिकरण से बोर्ड द्वारा नामित एक सिविल इंजीनियर जो अधीक्षण अभियंता से नीचे पद पर न हो;

(च) किसी सरकारी विभाग/अभिकरण से बोर्ड द्वारा नामित एक विद्युत अभियंता;

(छ) बोर्ड द्वारा नामित, संगत विशेषज्ञता रखने वाले, संस्थान के तीन प्रोफेसर;

(ज) संस्थान अभियंता, पदेन;

(झ) कुलसचिव, पदेन, सचिव;

(2) (क) पदेन सदस्य का कार्यकाल, उस पद पर बने रहने तक जारी रहेगा जिस पद पर होने के कारण वह सदस्य है।

(ख) उपरोक्त उप-संविधि (1) के खण्ड (घ), (ड), (च) तथा (छ) के अन्तर्गत नामित किसी सदस्य का कार्यकाल जिस वर्ष उसे नामित किया गया हो, उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन से दो वर्ष का होगा।

(3) भवन एवं निर्माण कार्य समिति निम्नलिखित कार्य करेगी तथा उसके निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः-

(क) बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमति तथा व्यय सम्मोदन सुनिश्चित करने के पश्चात, बोर्ड के निदेशन में, सभी बड़े पूंजीगत निर्माण कार्यों हेतु यह उत्तरदायी होगी;

(ख) बोर्ड द्वारा स्वीकृत सीमा में तथा संस्थान को इसके लिये दी गई अनुदान राशि के अन्तर्गत, छोटे निर्माण कार्यों एवं अनुरक्षण व मरम्मत से संबंधित निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय मंजूरी का इसे अधिकार होगा;

(ग) भवनों व अन्य बड़े निर्माणों, लघु निर्माणों, मरम्मत, अनुरक्षण और ऐसे ही अन्य कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जाने इसके कार्य-क्षेत्र में होंगे;

(घ) ऐसी तकनीकी संवीक्षा करने हेतु यह उत्तरदायी होगी जो इसके द्वारा आवश्यक समझी जाये;

(ड.) उपयुक्त ठेकेदारों के अनुसूचीकरण तथा निविदाओं की स्वीकृति के लिये यह उत्तरदायी होगी तथा जहाँ आवश्यक हो विभागीय निर्माणों हेतु निदेश देना इसका अधिकार होगा;

(च) निविदाओं के अन्तर्गत न आने वाली दरों को तय करना तथा ठेकेदारों के साथ विवादों एवं दावों को निपटाना इसका अधिकार होगा।

(4) भवन एवं निर्माण कार्य समिति, संस्थान हेतु भवनों के निर्माण एवं भूमि के विकास के मामलों में ऐसे अन्य कार्य भी करेगी जो बोर्ड द्वारा इसे समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।

(5) आवश्यक मामलों में भवन एवं निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष, इस समिति के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मामले उसके द्वारा भवन एवं निर्माण कार्य समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट किये जायेंगे।

(6) भवन एवं निर्माण कार्य समिति की बैठक आवश्यक होने पर कभी भी हो सकती है परंतु एक वर्ष में दो बार से कम नहीं होगी।

(7) भवन एवं निर्माण कार्य समिति की किसी बैठक के लिये तीन सदस्य कोरम पूर्ण करेंगे।

(8) बैठक की सूचनाओं, कार्यसूची में मदों के सम्मिलित किये जाने तथा कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में बोर्ड की बैठकों पर लागू उपरोक्त संविधियों के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, भवन एवं निर्माण कार्य समिति की बैठकों के संबंध में भी लागू होंगे।

(9) भवन एवं निर्माण कार्य समिति की बैठक के प्रत्येक कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जायेगी।

अध्यक्ष

8. (1) अध्यक्ष, चयन समिति की संस्तुति पर, ऐसे पद के सन्दर्भ में, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जा सकती हो, किसी पद धारक का प्रारंभिक वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से एक चरण ऊपर निर्धारित करने का अधिकार रक्खेगा।

(2) अध्यक्ष, संस्थान के स्टॉफ सदस्यों को प्रशिक्षण या किसी अनुदेश के अनुक्रम हेतु, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों एवं स्थितियों के अधीन भारत से बाहर भेजे जाने का अधिकार रक्खेगा।

(3) अध्यक्ष, निदेशक एवं संस्थान के मध्य सेवा के अनुबन्ध का निष्पादन करेगा।

शर्त है कि ऐसे अनुबन्ध में, किसी के भी सन्दर्भ में, अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) आकस्मिक मामलों में, अध्यक्ष, बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा अपने द्वारा की गई कार्यवाही की अनुमति के लिये उसे बोर्ड की आगामी बैठक में सूचित कर सकता है।

निदेशक

9. (1) निदेशक, विजिटर की पूर्व अनुमति से, परिषद द्वारा पाँच वर्ष के अनुबन्ध पर या 62 वर्ष की आयु हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जायेगा।

शर्त है कि, यदि नियुक्त व्यक्ति की आयु अनुबन्ध के पूर्ण होने के समय 62 वर्ष से कम है, तो उसकी सेवाएं जिस शैक्षिक वर्ष में उसका अनुबन्ध पूर्ण हुआ हो उसमें 30 जून तक या उसके 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने में से जो भी पहले हो, उस समय तक चलेंगी।

यह भी शर्त है कि, परिषद के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से नियुक्त व्यक्ति अपने स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति के निदेशक नियुक्त होने तक पदभार रख सकता है।

(2) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा खोज समिति नियुक्त की जायेगी। यह खोज समिति परिषद के अध्यक्ष द्वारा खोज समिति को नियुक्त करते समय नियत किये गये समय के अन्दर निदेशक के पद हेतु नामों की एक नामिका (पैनल) की संस्तुति करेगी।

(3) संस्थान एवं निदेशक के बीच सेवा का अनुबन्ध निर्धारित किये गये प्रारूप पर लिखित में तथा संस्थान के नाम पर किया जाना अभिव्यक्त होगा।

(4) विशिष्ट उद्देश्य के लिये किये गये बजट प्रावधानों के अधीन, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये निदेशक को व्यय करने का अधिकार होगा।

(5) निदेशक को, प्रत्येक मद के लिये बोर्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई सीमा तक आवर्ती बजट की विभिन्न मदों के सन्दर्भ में पुनर्विनियोजन का अधिकार होगा।

शर्त है कि ऐसे पुनर्विनियोजन में भविष्य के लिये कोई देयता न हो। ऐसा प्रत्येक पुनर्विनियोजन शीघ्र से शीघ्र बोर्ड को रिपोर्ट किया जायेगा।

(6) निदेशक को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित सीमा तक किसी स्टॉफ सदस्य को किये गये ऐसे अधिक भुगतान की वसूली को छोड़ देने का अधिकार होगा जिसका भुगतान के 24 माह तक पता न चल पाया हो।

(7) निदेशक को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर इसके लिये विनिर्दिष्ट वित्तीय सीमा के अधीन, बोर्ड द्वारा नियुक्त एक स्थायी समिति की संस्तुति पर, वसूली न जा सकने वाली हानियों तथा खोये गये या अधिक रख-रखाव के कारण काम में न लाये जा सकने योग्य भण्डार की वसूली न जा सकने वाली कीमत को बट्टे खाते में डाल देने का अधिकार होगा।

(8) निदेशक को, ऐसे पदों के सन्दर्भ में, जिन पर, अधिनियम का अनुपालन करते हुये बोर्ड द्वारा यह नियत किया गया हो कि निदेशक नियुक्ति कर सकता है, चयन समिति की संस्तुति पर, किसी पद धारक का प्रारंभिक वेतन न्यूनतम वेतन से अधिक पर, जो पाँच वेतन वृद्धि से ज्यादा न हो, निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(9) निदेशक को, बोर्ड द्वारा, इनके लिये समय-समय पर नियत की गई परिलब्धियों पर आकस्मिकता निधि से तकनीशियनों एवं कर्मकारों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(10) निदेशक को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों एवं स्थितियों के अधीन स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण या किसी अनुदेश के अनुक्रम हेतु भारत के अन्दर भेजने का अधिकार होगा।

(11) निदेशक को, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुपयुक्त भवनों का किराया छोड़ने या कम करने का अधिकार होगा।

(12) निदेशक को, किसी भी भवन को, उस उद्देश्य से अलग किसी अन्य उद्देश्य के लिये जिसके लिये इस भवन का निर्माण किया गया हो, अस्थायी रूप से आवंटन का अधिकार होगा।

(13) विशेष स्थितियों में, निधियों की उपलब्धता होने पर, निदेशक को, अध्यक्ष की सहमति से, बोर्ड को रिपोर्ट करते हुये, स्वीकृत वेतनमानों पर, अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी पद सृजित करने का अधिकार है, बशर्ते इस तरह कोई भी ऐसा पद सृजित नहीं किया जायेगा जिसके लिये निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी न हो।

(14) लेखा नियम, मूल एवं अनुपूरक नियम व सरकार के अन्य नियमों में, जहाँ तक वे संस्थान पर लागू होते हों या संस्थान के कार्य संचालन हेतु लागू किये जा सकते हों, नियमों के प्रयोजन हेतु निदेशक को विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त होंगे।

(15) यदि, किसी कारण से, कुलसचिव किसी ऐसी अवधि के लिये अस्थाई रूप से अनुपस्थित है, जो एक माह से अधिक न हो, तो निदेशक, कुलसचिव के ऐसे किसी भी कार्य को, जिसे वह ठीक समझे, अपने अधिकार में ले सकता है, या संस्थान के किसी भी स्टॉफ सदस्य को सौंप सकता है। बशर्ते, यदि किसी भी समय, कुलसचिव की अस्थायी अनुपस्थिति एक माह से अधिक हो जाती है तो बोर्ड, यदि वह ठीक समझे, कुलसचिव के उपरोक्त कार्य को एक माह से अधिक समय के लिये, अपने अधिकार में लेने या सौंपने के लिये निदेशक को अधिकृत कर सकता है।

(16) मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति में, निदेशक, उप निदेशक, या किसी एक डीन, या उपस्थित किसी वरिष्ठतम प्रोफेसर को, यात्रा भत्तों, आकस्मिक खर्चों, स्टॉफ के चिकित्सा उपचार हेतु अग्रिम धनराशियों को स्वीकृत करने, व उसकी ओर से बिलों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत कर सकता है तथा निदेशक के ऐसे अधिकारों को धारण करने हेतु अधिकृत कर सकता है जो विनिर्दिष्टत:

उसके द्वारा लिखित रूप में उप निदेशक, या किसी एक डीन या उपस्थित वरिष्ठतम प्रोफेसर को सौंपे जा सकते हों।

(17) निदेशक, स्वविवेक से, ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो।

(18) मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में या अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष द्वारा अपने कार्य-निर्वहन में असमर्थ होने पर, निदेशक, संविधि 8 के अन्तर्गत अध्यक्ष को सौंपे गये कार्यों का निर्वहन कर सकता है।

(19) निदेशक, बोर्ड की अनुमति से, अपने किसी भी अधिकार, दायित्व व अधिनियम तथा संविधि द्वारा स्वयं में निहित प्राधिकार को संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक स्टॉफ के एक या एक से अधिक सदस्यों को सौंप सकता है।

उप निदेशक

10. (1) उप निदेशक की नियुक्ति निदेशक द्वारा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, संस्थान के प्रोफेसरों में से, ऐसी शर्तों और निबंधन पर की जायेगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित की जा सकती हैं। हालांकि इस पद पर होने के कारण वह किसी अतिरिक्त आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

(2) उप निदेशक, शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में तथा उच्च शिक्षा व अनुसंधान व साथ ही औद्योगिक उपक्रमों व अन्य नियोक्ता संस्थानों से सम्पर्क बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा।

डीन

11. (1) निदेशक, अध्यक्ष के परामर्श से, अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता हेतु, डीन एवं सह-डीनों की नियुक्ति कर सकता है।

(2) डीन एवं सह-डीन, अध्यापकों में से, निदेशक द्वारा, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये चुने जायेंगे। उनका पद पर रहना, निदेशक की इच्छा पर होगा।

(3) डीन व सह-डीन संस्थान के मानित अधिकारी होंगे तथा वे उन अधिकारों का उपभोग व ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो बोर्ड से पूर्व अनुमति लेकर निदेशक द्वारा उन्हें सौंपे जायेंगे। सह-डीन सामान्यतः संबधित डीन की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे।

(4) डीन तथा सह-डीन अपने इन पदों पर रहने के लिये किसी अतिरिक्त आर्थिक लाभ के हकदार नहीं होंगे।

संस्थान के कर्मचारियों का वर्गीकरण

12. (1) कर्मचारियों के उन मामलों में छोड़कर जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता हो, संस्थान के कर्मचारी निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे -

(क) शैक्षणिक स्टॉफ - इसमें, निदेशक, उप निदेशक, प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक-पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रबंधक (वरिष्ठ पदक्रम), वरिष्ठ सिस्टम प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर (प्रबंधक), प्रोग्रामर, शोध अभियंता/कम्प्यूटर इंज़ीनियर, कार्यशाला अधीक्षक, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी व अन्य ऐसे शैक्षणिक पद जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किये जा सकते हैं, सम्मिलित होंगे।

(ख) तकनीकी स्टॉफ - इसमें, संस्थान अभियंता, सहायक अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी अधिकारी, फोरमैन, सहायक फोरमैन, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक, टेलीफोन ऑपरेटर, सब-ओवरसिअर, ड्राईवर, वरिष्ठ सुरक्षा निरीक्षक, सुरक्षा निरीक्षक, की-पंच आपरेटर/पंच कार्ड ऑपरेटर, वरिष्ठ फार्मेसिस्ट, फार्मेसिस्ट, नर्सिंग सिस्टर, व्यायाम प्रशिक्षण अनुदेशक, सहायक कोच, कर्मकार, निर्माण सहायक (वरिष्ठ), निर्माण सहायक, तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किये जाने वाले ऐसे अन्य तकनीकी पद सम्मिलित हैं।

(ग) प्रशासनिक एवं अन्य स्टॉफ - इसमें, कुलसचिव, उप कुल-सचिव, सहायक कुलसचिव, संपदा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, केन्द्रीय क्रय अधिकारी, भण्डार अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी, सहायक क्रीड़ा अधिकारी, सहायक परामर्शदाता, निदेशक का निजी सचिव, अधीक्षक, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, वरिष्ठ आशुलिपिक, आशुलिपिक, वरिष्ठ भंडारक, भंडारक, चपरासी, दफ्तरी, माली, वरिष्ठ माली, मददगार, क्लीनर, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, वरिष्ठ सफाई कर्मचारी, परिचर, वरिष्ठ परिचर, आया, ड्रेसर व बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित किये गये ऐसे अन्य प्रशासनिक व अन्य पद सम्मिलित हैं।

नियुक्तियां

13. (1) सभी पद सामान्यतः विज्ञापन द्वारा भरे जायेंगे, परंतु निदेशक की संस्तुति पर, बोर्ड को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि कोई विशेष पद आमंत्रण या संस्थान के स्टॉफ में से प्रोन्नति के द्वारा भरा जाये।

(2) परिषद द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के अनुपालन में, बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, संस्थान पदों के आरक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान करेगा। ऐसे पदों पर नियुक्ति करते समय नियुक्ति प्राधिकारी अविचल रूप से संस्थान में शिक्षण एवं प्रशासन की कार्यकुशलता के अनुरक्षण को स्थिर रक्खेगा।

(3) (अनुबन्ध के आधार पर भरे जाने वाले पदों के अतिरिक्त) संस्थान के अन्तर्गत विज्ञापन के द्वारा या संस्थान के स्टॉफ के बीच से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों हेतु चयन समिति निम्नलिखित ढंग से गठित की जायेगी, यथा :-

(क) प्रोफेसर तथा वैज्ञानिक, डिजाइन व कम्प्यूटर स्टॉफ संवर्ग के समकक्ष पदों के मामलों में चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों को लेकर गठित की जायेगी, यथा :-

(i)	निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	विजिटर का एक नामित	सदस्य

(iii) बोर्ड के दो नामित एक विशेषज्ञ हो, परंतु बोर्ड का सदस्य न हो	सदस्य
(iv) सिनेट द्वारा नामित एक विशेषज्ञ जो सीनेट का सदस्य न हो	सदस्य

(ख) सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, डिजाइन व कम्प्यूटर स्टॉफ संवर्ग के समकक्ष पद, व पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, व बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित किये गये ऐसे अन्य शैक्षिक पदों के मामलों में चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों को लेकर गठित की जायेगी, यथा :-

(i) निदेशक	अध्यक्ष
(ii) बोर्ड के दो नामित एक विशेषज्ञ हो, परंतु बोर्ड का सदस्य न हो	सदस्य
(iii) सिनेट द्वारा नामित एक विशेषज्ञ जो सीनेट का सदस्य न हो, तथा	सदस्य
(iv) संबंधित विभाग/शैक्षिक केन्द्र/ स्कूल का अध्यक्ष, यदि वह पद जिस पर चयन किया जा रहा है विभाग/ शैक्षिक केन्द्र/स्कूल के अध्यक्ष, के पद से छोटा है	सदस्य
(v) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु संस्थान की पुस्तकालय परामर्श समिति का अध्यक्ष	सदस्य

(ग) कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, संस्थान अभियंता, क्रीड़ा अधिकारी, सहायक क्रीड़ा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, तथा चिकित्साधिकारी, के मामलों में, चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों को लेकर गठित की जायेगी, यथा :-

(i)	निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	उप निदेशक	सदस्य
(iii)	बोर्ड के दो नामित	सदस्य
(iv)	कुलसचिव, केवल कुलसचिव के पद हेतु छोड़कर	सदस्य

(घ) अन्य समूह 'ए' पदों के मामलों में, जो उपरोक्त (क), (ख) व (ग) श्रेणी में नहीं आते तथा ऐसे वेतनमान में हैं जिनका अधिकतम, समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक हो, चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों को लेकर गठित की जायेगी, यथा:-

(i)	निदेशक या उनका नामित	अध्यक्ष
(ii)	बोर्ड का एक नामित	सदस्य
(iii)	संबंधित विभाग/केन्द्र/स्कूल का अध्यक्ष या कुलसचिव जैसा भी मामला हो	सदस्य
(iv)	संस्थान के स्टॉफ से निदेशक द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य

(ड.) अन्य पदों के मामलों में, जो उपरोक्त (क), (ख) (ग) व (घ) श्रेणी में नहीं आते तथा ऐसे वेतनमान में हैं जिनका अधिकतम, समय समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक हो, चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों को लेकर गठित की जायेगी यथा:-

(i) निदेशक या उनका नामित	अध्यक्ष
(ii) बोर्ड का एक नामित	सदस्य
(iii) संबंधित विभाग/केन्द्र/स्कूल का अध्यक्ष या कुलसचिव जैसा भी मामला हो	सदस्य
(iv) संस्थान के स्टॉफ से निदेशक द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य

(च) अन्य सभी पदों के मामलों में निदेशक अपने विवेक से ऐसी चयन समितियों का गठन कर सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

टिप्पणी:-

1. *चयन समिति का अध्यक्ष, स्वीकृत नामिकाओं में से एक या एक से अधिक विशेषज्ञों को चयन समिति की सहायता हेतु आमंत्रित कर सकता है।*

2. *अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति, निदेशक द्वारा स्वीकृत एक नामिका में से एक अ.जा./अ.ज.जा. तथा एक अ.पि.व. सदस्य को सम्मिलित करेगी।*

(4) निदेशक की अनुपस्थिति में, संस्थान के स्टॉफ का कोई भी सदस्य जिसे निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया हो, निदेशक के स्थान पर चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) उप निदेशक की अनुपस्थिति में, निदेशक उसके स्थान पर संस्थान के स्टॉफ के किसी भी सदस्य को चयन समिति में कार्य करने हेतु नामित कर सकता है।

(6) जहाँ कोई पद अनुबन्ध पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना हो, वहाँ अध्यक्ष अपने विवेक से, ऐसी तदर्थ चयन समिति गठित कर सकता है जैसी भी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में वांछित हो।

(7) जहाँ कोई पद संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नति के द्वारा या अस्थायी रूप से अधिकतम 12 माह की अवधि के लिये भरा जाना हो, तो बोर्ड इसके लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(8) इन संविधियों में कुछ भी अन्तर्विष्ट होने पर भी, बोर्ड को "स्वीकृत" कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को, जैसा भी बोर्ड उचित समझे उस तरीके से नियुक्त करने का अधिकार होगा। बोर्ड ऐसे "स्वीकृत" कार्यक्रमों की एक अनुसूची अनुरक्षित करेगा।

(9) यदि पद विज्ञापन के द्वारा भरा जाना हो, तो पद की शर्तें एवं निबंधन कुलसचिव द्वारा विज्ञापित की जायेंगी तथा विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तिथि के अन्दर प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा, बशर्ते कि चयन समिति पर्याप्त कारण होने पर विनिर्दिष्ट तिथि के बाद प्राप्त किसी आवेदन पर भी विचार कर सकती है।

यह भी शर्त है कि, यदि बोर्ड उपयुक्त समझे, तो विभिन्न पदों के लिये संस्थान की वेब-साइट पर एक धारावाहिक विज्ञापन होगा और समय समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपयुक्त विभागीय समितियों द्वारा विचार किया जा सकता है तथा उनकी संस्तुतियां निदेशक को, बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, समुचित कार्यवाही करने के लिये भेजी जा सकती हैं।

(10) चयन समिति, उन सभी व्यक्तियों के प्रत्यय-पत्रों की जाँच करेगी जिन्होंने आवेदन किया है तथा चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा

या अन्य रूप में समिति की जानकारी में लाये गये, अन्य सुझाये हुये नामों पर भी विचार कर सकती है, यदि वे कोई हों तो। चयन समिति किसी भी प्रत्याशी का साक्षात्कार कर सकती है, जैसा भी यह ठीक समझे, तथा अध्यक्ष के विवेकानुसार लिखित परीक्षा या एक मौखिक प्रस्तुति सहित लिखित परीक्षा सभी प्रत्याशियों हेतु या कुछ प्रत्याशियों हेतु, जैसा भी अध्यक्ष ठीक समझे, आयोजित की जा सकती है, तथा योग्यता क्रम में सुसज्जित किये नामों के साथ अपनी संस्तुति बोर्ड या निदेशक में से जिसे भी की जानी हो, करेगी।

शर्त है कि, उपरोक्त उप-संविधि (3) खण्ड (ख) के अन्तर्गत गठित चयन समिति किसी प्रत्याशी को प्रारंभिक रूप से तीन वर्ष के लिये, जिसे बाद में अधिकतम दो वर्ष बढ़ाया जा सकता है अनुबंध पर निःसंवर्ग नियुक्त किये जाने की संस्तुति कर सकती है।

(11) किसी चयन समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जायेगा।

शर्त है कि, यदि चयन समिति की कोई बैठक होना आवश्यक समझा जाता है, तो कुलसचिव बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना देगा।

(12) जब तक कि इन संविधियों के अन्तर्गत कोई अन्य शर्त न हो, किसी पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति देने के उद्देश्य से गठित एक चयन समिति, नियुक्ति किये जाने के समय तक उस पद के संबध में अपने कार्य को करने के लिये अर्ह होगी।

(13) संकाय एवं शैक्षणिक पदों के अतिरिक्त संस्थान के अन्तर्गत अन्य पदों पर आवेदन करने वाले प्रत्याशियों से बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क लिया जायेगा।

शर्त है कि, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के तथा विस्थापित व्यक्तियों को आवेदन शुल्क के भुगतान में, समय समय पर बोर्ड/परिषद द्वारा निर्धारित छूट प्रदान की जा सकती है।

(14) संस्थान के अन्तर्गत किसी पद हेतु साक्षात्कार के लिये चयनित प्रत्याशियों को, समय समय पर बोर्ड द्वारा, इस संबध में निर्धारित यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकता है।

(15) संस्थान में की गई सभी नियुक्तियां बोर्ड को इसकी अगली बैठक में रिपोर्ट की जायेंगी।

स्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन

14. संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्निलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होंगे -

(1) प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियुक्त किया गया व्यक्ति, बोर्ड द्वारा नामित, चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा स्वस्थ तथा भारत में कहीं भी सेवा करने के लिये शारीरिक रूप से दुरुस्त, प्रमाणित है।

शर्त है कि, बोर्ड पर्याप्त कारणों से, किसी एक मामले या एक तरह के मामलों में, बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन चिकित्सीय वांछितताओं में छूट प्रदान कर सकता है।

(2) अधिनियम व संविधियों के प्रावधानों के अधीन, संस्थान के अन्तर्गत ऐसे सभी पदों पर नियुक्तियां एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेंगी, जिस अवधि के बाद नियुक्त व्यक्ति, यदि स्थायी हो जाता है, तो वह, समय समय पर परिषद तथा/या केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, उस माह के अन्त तक जिसमें उसने अधिवर्षता की आयु प्राप्त की हो, अधिनियम व संविधियों के प्रावधानों के अधीन सेवा में बना रहेगा।

शर्त है कि, जहां पर बोर्ड यह समझता है कि, छात्रों के हित में तथा अध्यापन व पी.एच.डी.कार्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से, शैक्षणिक स्टॉफ के किसी भी सदस्य को पुनःसेवायुक्त किया जाना चाहिये, तो ऐसे सदस्य को सेमेस्टर या शैक्षिक सत्र के अंत तक, जैसा भी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझा जाये, सेवायुक्त किया जा सकता है।

यह भी शर्त है कि, जहां ऐसे किसी सदस्य को, सेमेस्टर या शैक्षिक सत्र, जैसा भी मामला हो, के समाप्त होने के बाद भी पुनःसेवायुक्त करना आवश्यक हो जाये, तो बोर्ड, विजिटर की पूर्व अनुमति लेकर, किसी ऐसे सदस्य को, किसी उतनी अवधि के लिये पुनःसेवायुक्त कर सकता है, जितनी आवश्यक समझी जाये तथा किसी भी मामले में उस शैक्षिक सत्र के अंत से अधिक न हो जिसमें वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले।

यह भी शर्त है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसे सदस्य को अध्यापन व पी.एच.डी. कार्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों के मार्गदर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिये पुनःसेवायुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने के उपरांत, कोई कर्मचारी किसी भी समय, कम से कम तीन महीने का नोटिस लिखित रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को देकर, केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित शर्तों एवं स्थितियों पर, सेवामुक्त हो सकता है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी नियुक्त किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि को उतने समय तक बढ़ाने का अधिकार है जितना आवश्यक समझा जाये, परंतु दो वर्ष से अधिक न हो, शर्त है कि बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के पश्चात यदि नियुक्त व्यक्ति को न तो स्थायी किया जाता है और न ही उसकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, तो उसके 30वें दिन के पश्चात उसको स्थायी हो गया हुआ समझा जायेगा।

(5) संस्थान का कर्मचारी, अपना समस्त समय, संस्थान की सेवा में लगायेगा तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यवसाय या व्यापार या किसी अन्य कार्य को जो उसके सेवा-कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में हस्तक्षेप करता हो, नहीं करेगा, परंतु यहाँ यह निषेध बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के साथ तथा/या निदेशक की अनुमति से लिये गये शैक्षिक कार्य तथा परामर्श सेवा पर लागू नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी को, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्टॉफ सदस्य की सेवाएं बिना नोटिस दिये तथा बिना इसके लिये कोई कारण बताए समाप्त करने का अधिकार होगा।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी स्टॉफ सदस्य की सेवाएं, तीन माह का नोटिस या उसके एवज में तीन महीने के वेतन का भुगतान करके समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि बोर्ड द्वारा नामित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, प्रमाणित चिकित्सीय आधार पर ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उसका सेवा में बने रहना अवांछित समझा जाये।

(8) बोर्ड को, छटनी या आर्थिक आधार पर, किसी भी स्टॉफ सदस्य की सेवाएं, संबधित व्यक्ति को छः माह का लिखित नोटिस देकर या उसके स्थान पर छः महीने के वेतन का भुगतान करके, समाप्त करने का अधिकार होगा।

(9) संस्थान का कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर अपने कार्य को समाप्त कर सकता है, शर्त ये है कि पर्याप्त कारण होने पर नियुक्ति प्राधिकारी या तो इस अवधि को घटा सकता है या संबधित कर्मचारी से उस शैक्षिक सत्र के अंत तक कार्य करने को कह सकता है जिसमें नोटिस दिया गया हो।

(10) संस्थान में नियुक्त स्टॉफ सदस्य को निलम्बन में रक्खा जा सकता है तथा/या संविधि 27 के अन्तर्गत बनाए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

(11) संस्थान के कर्मचारी समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।

(12) संस्थान के कर्मचारी, परिषद की पूर्व अनुमति से, संविधि 27 के अन्तर्गत बनाए गये नियमों का अनुपालन करते हुये, अपने और अपने परिवार पर किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(13) संस्थान के कर्मचारी संविधि 27 के अन्तर्गत बनायी गयी आचार संहिता से संचालित होंगे।

(14) यह निर्णय करना परिषद पर होगा कि संस्थान के कर्मचारियों का कौन सा वर्ग दीर्घावकाश का हकदार होगा।

अस्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन

15 (1) अस्थायी कर्मचारियों की सेवा, या तो कर्मचारी द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित नोटिस देने से कभी भी समाप्त हो सकती है। ऐसी अवधि एक महीने की होगी जब तक कि संस्थान और कर्मचारी अन्यथा राजी न हों।

(2) ऐसे कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें एवं स्थितियां वह होंगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

अनुबंध पर नियुक्ति

16. (1) इन संविधियों में कुछ भी रहने पर भी, बोर्ड, विशेष परिस्थितियों में किसी विशिष्ट व्यक्ति को, आगे नवीकरण के प्रावधान सहित, अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध पर नियुक्त कर सकता है।

शर्त है कि, ऐसी प्रत्येक नियुक्ति एवं उसकी शर्तें परिषद के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के अधीन होंगी।

(2) अधिनियम में दिये प्रावधानों के अधीन, बोर्ड, किसी भी व्यक्ति को निर्धारित वेतनमानों में, तथा सन्दर्भित पद पर लागू शर्तों एवं स्थितियों पर, आगे नवीकरण के प्रावधान सहित, अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध पर नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां करने के लिये, अध्यक्ष, अपने विवेक से, ऐसी तदर्थ चयन समितियां गठित कर सकता है जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों अनुसार वांछित हों।

सेवा निवृत्ति लाभ

17. संविधि 27 के अन्तर्गत, बोर्ड द्वारा बनाए गये नियमों के अनुपालन में, संस्थान के कर्मचारियों हेतु एक अंशदायी भविष्यनिधि व आनुतोषिक योजना

तथा एक सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व आनुतोषिक योजना निर्मित, अनुरक्षित व प्रदान की जायेगी।

दीर्घावकाश् व छुट्टी

18. (1) संविधि 27 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी दीर्घावकाश व छुट्टी का हकदार होगा।

(2) जब भी कोई कर्मचारी संस्थान में या एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में किसी अन्य संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय, या किसी राज्य विश्वविद्यालय या किसी केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य संस्थान/संगठन से कार्यभार ग्रहण करता है तो ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तुरंत पहले की तिथि को उसके खाते में जितनी भी छुट्टियां शेष होंगी वे संस्थान में या केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जहां वह कार्यभार ग्रहण करता है उसके अवकाश खाते में, जमा करने की निर्धारित सीमा के अधीन, जमा/अग्रेनीत कर दी जायेंगी।

शर्त है कि, इस उद्देश्य के लिये, वह राज्य विश्वविद्यालय, या केन्द्र/राज्य सरकार का अन्य संस्थान/संगठन जहाँ से, कर्मचारी ने, संस्थान में कार्यभार ग्रहण किया है, ऐसी छुट्टी को आगे जमा करने के लिये छुट्टी वेतन देयता का प्रमुक्ति देगा।

स्टॉफ हेतु आवास गृह

19. संविधि 27 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा समय समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करते हुये, संस्थान के कर्मचारी, संस्थान परिसर के अन्दर, उपलब्ध होने पर, मकान के आवंटन हेतु अर्ह होंगे।

यात्रा भत्ता

20. (1) बोर्ड के सदस्य तथा संस्थान के अन्य प्राधिकारी व अधिनियम या इन संविधियों के अन्तर्गत गठित या बोर्ड व अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त, सरकारी व संस्थान के कर्मचारियों के अतिरिक्त, समितियों के सदस्य, समितियों व प्राधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिये ऐसे यात्रा व दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) बोर्ड के सदस्य तथा संस्थान व समितियों के अन्य प्राधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता,

उन्हें स्वीकार्य दरों पर उस स्रोत से प्राप्त करेंगे जहाँ से वे अपना वेतन प्राप्त करते हों।

हालाँकि यदि सदस्यों द्वारा वांछित हो, तो संस्थान बोर्ड द्वारा समय समय पर किये गये निर्धारण के अनुसार, संबंधित सदस्य को यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा, यदि वह ये घोषित करे कि वो किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते हेतु दावा नहीं करेंगे।

विभाग/केन्द्र/सेवा केन्द्र

21. (1) संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे, यथाः-

(अ) वास्तुकला एवं नियोजन
(आ) जैव प्रौद्योगिकी
(इ) रासायनिक अभियांत्रिकी
(ई) रसायन विज्ञान
(ई) जानपद अभियांत्रिकी
(उ) भू विज्ञान
(ऊ) भूकम्प अभियांत्रिकी
(ए) विद्युत अभियांत्रिकी
(ऐ) इलैक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी
(ओ) मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
(औ) जल विज्ञान
(क) कागज प्रौद्योगिकी
(ख) प्रबंध अध्ययन
(ग) गणित
(घ) यांत्रिक एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी
(ड.) धातुकर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी
(च) भौतिक विज्ञान
(छ) जल संसाधन विकास एवं प्रबंध

शर्त है कि, सिनेट की संस्तुति पर बोर्ड, किसी भी विभाग को सृजित, रूपांतरित या समाप्त कर सकता है या अन्य विभाग में इसका विलय कर सकता है।

(2) संस्थान में निम्नलिखित शैक्षिक एवं सेवा केन्द्र होंगे, यथा:-

(अ)	वैकल्पिक जल उर्जा केन्द्र	शैक्षिक केन्द्र
(आ)	केन्द्रीय पुस्तकालय	शैक्षिक सेवा केन्द्र
(इ)	अनवरत शिक्षा केन्द्र	शैक्षिक सेवा केन्द्र
(ई)	संस्थान उपकरण केन्द्र	शैक्षिक सेवा केन्द्र
(उ)	संस्थान कम्प्यूटर केन्द्र	शैक्षिक सेवा केन्द्र
(ऊ)	सूचना महामार्ग केन्द्र	शैक्षिक सेवा केन्द्र

शर्त है कि, सिनेट की संस्तुति पर बोर्ड, किसी भी केन्द्र/सेवा केन्द्र को सृजित, रूपांतरित या समाप्त कर सकता है या अन्य केन्द्र/सेवा केन्द्र या विभाग में इसका विलय कर सकता है, या इसे विभाग में बदल सकता है।

विभागाध्यक्ष

22. (1) संस्थान का प्रत्येक विभाग, एक विभागाध्यक्ष के प्रभार में होगा, जिसका चयन निदेशक द्वारा, प्रोफेसर एवं सह प्रोफेसरों में से, बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

संस्थान का प्रत्येक केन्द्र/स्कूल/सेवा केन्द्र, एक विभागाध्यक्ष के प्रभार में होगा, जिसका चयन निदेशक द्वारा, केन्द्र/स्कूल/सेवा केन्द्र में या संबंधित विभाग/केन्द्र/स्कूल में प्रोफेसर एवं सह प्रोफेसरों, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य डिजाइन अभियंता/प्रधान डिजाइन् अभियंता में से, बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

शर्त है कि, यदि निदेशक की राय में ऐसी स्थिति हो तो निदेशक स्वयं किसी भी विभाग/केन्द्र/स्कूल/सेवा केन्द्र का प्रभार ले सकता है या इसे उप निदेशक या अन्य विभाग/केन्द्र के प्रोफेसर के अधीन कर सकता है जो अधिकतम छः माह के लिये होगा।

(2) विभाग/केन्द्र/स्कूल/सेवा केन्द्र के अध्यक्ष, निदेशक के सामान्य नियंत्रण के अधीन विभाग/केन्द्र/स्कूल/सेवा केन्द्र के सम्पूर्ण काम काज के लिये उत्तरदायी होंगे।

(3) विभाग/केन्द्र/स्कूल/सेवा केन्द्र का अध्यक्ष यह देखेगा कि संस्थान के प्राधिकारियों एवं निदेशक के निर्णयों का सत्यनिष्ठा से अनुपालन किया जाये। वह ऐसे अन्य कार्यों को भी करेगा जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों एवं पुरस्कारों की स्थापना

23. परिषद के निर्णयों एवं समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप संस्थान अभिस्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान एवं पोस्ट डोक्टोरल छात्रों को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु, दिये जाने के लिये, ऐसी वृत्तिका, अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायता वृत्तिका, पदक, पुरस्कार व अन्य पारितोषिक स्थापित करेगा जिन्हें अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

शुल्क एवं शुल्क में छूट दिया जाना

24. (1) संस्थान, अभिस्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान एवं पोस्ट डोक्टोरल छात्रों से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये उतना शुल्क लेगा जो परिषद के निर्णयों तथा समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

शर्त है कि, संस्थान, केन्द्र सरकार की नीतियों तथा समय समय पर परिषद के निर्णयों के संगत व बोर्ड के निर्णय के अनुसार छात्रों एवं शोध-कर्ताओं को शुल्क में छूट भी प्रदान करेगा।

(2) शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, विलम्ब शुल्क, प्रविष्टि/संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रमों से नाम काटा जाना, तथा ऐसे अन्य मामले जो सिनेट द्वारा तय किये जा सकते हैं, अध्यादेशों में दिये जायेंगे।

हॉल/छात्रावास एवं भवन

25. (1) (क) संस्थान रुड़की में भवन/छात्रावास बनाएगा तथा अनुरक्षित करेगा और शोध छात्रों सहित अन्य छात्र संस्थान में बने भवन/छात्रावासों में रह सकते हैं। संस्थान इस उद्देश्य के लिये समय समय पर अध्यादेश बना सकता है।

(ख) जो छात्र, छात्रावासों में नहीं रहते उन्हें ऐसा कोई शुल्क नहीं देना होगा जो छात्रावासों में रहने वाले छात्रों से वसूला जा सके जैसे कि संस्थापन शुल्क, मैस इमदाद शुल्क, कमरे का किराया, विद्युत शुल्क आदि।

(2) भवन/छात्रावासों में रहने वाला तथा वो जो संस्थान परिसर से बाहर रहता है, प्रत्येक छात्र इस संबध में सिनेट द्वारा निर्धारित स्थायी आदेशों के अनुरूप होगा।

(3) प्रत्येक छात्रावास/भवन में एक मुख्य संरक्षक, एक संरक्षक तथा उतनी संख्या में सहायक संरक्षक व अन्य स्टॉफ होगा जितना बोर्ड द्वारा निश्चित किया जायेगा। भवन/छात्रावास के मुख्य संरक्षक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया, सुविधाओं की हकदारी, यदि कोई हो तो, तथा उन्हें देय भत्ते, यदि कोई हों तो, इस प्रकार होंगे जैसे भी अध्यादेश में निर्धारित किये गये हों।

मानद उपाधि प्रदान किया जाना

26. मानद उपाधि प्रदान किये जाने हेतु सभी प्रस्ताव सिनेट द्वारा किये जायेंगे तथा पुष्टि हेतु विजिटर को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इन पर बोर्ड की अनुमति वांछित होगी।

शर्त है कि, शीघ्रता के मामलों में, बोर्ड की ओर से अध्यक्ष, ऐसे प्रस्ताव विजिटर को प्रस्तुत कर सकता है।

नियमों का बनाया जाना

27. (1) उपरोक्त संविधियों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित संविधियों में उल्लिखित नियम, इनमें किये गये उत्तरवर्ती संशोधनों/परिवर्धनों/हटाये जाने सहित इस प्रकार से होंगे, जो केन्द्र सरकार के नीतिगत दिशा निर्देशों व परिषद के निदेशों, यदि कोई हों तो, के संगत बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(अ) संविधि 9, उपसंविधि (4) : निदेशक की सेवा का संविदा

(आ) संविधि 14, उपसंविधि (12) : चिकित्सा उपस्थिति एवं उपचार

(इ) संविधि 14, उपसंविधि (13) : आचरण

(ई) संविधि 17 : सेवा निवृत्ति लाभ

(उ) संविधि 18 : दीर्घावकाश एवं छुट्टी

(ऊ) संविधि 19 : स्टॉफ हेतु आवासीय सुविधा

(2) समय समय पर बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये तथा/या बनाए गये नियम परिषद द्वारा किसी आशोधन/निदेश के अधीन लागू रहेंगे।